कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, E-mail -msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक / 999 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 19 / 11 / 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 904 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 20.10.2020 के द्वारा **ग्राम मोहका** तहसील बसना, जिला महासमुन्द में एवं आदेश क्रमांक / 905 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 20.10.2020 के द्वारा **ग्राम लमकसा,** तहसील बसना, जिला महासमुन्द में कोरोना वायरस (कोविड–19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।

02) उपरोक्त संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद द्वारा पत्र क्रमांक / कोविड–19 / 2020 / 3620 दिनांक 17.11.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र. / 2020 / 796 / पीए नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से कोविड–19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु अद्यतन दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन हटाये जाने के संबंध में घोषित कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिवस तक सतत् निगरानी पश्चात् संक्रमण की रोकथाम का आकलन कर एवं सक्रिय प्रकरण 14 दिन तक शून्य रहने पर उक्त क्षेत्र से कंटेनमेंट जोन हटाये जाने के निर्देश हैं। ग्राम मोहका एवं लमकसा में घोषित कंटेनमेंट जोन के 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुकी है। उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों में कोई भी कोरोना वायरस के धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है।

03) अतएव उपरोक्तानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए निम्न कार्यालयीन आदेशों के तहत् घोषित कन्टेनमेंट जोन को एतद्द्वारा मुक्त करते हुए, उक्त आदेश को प्रभावहीन किया जाता है :–

क्र.	आदेश क्रमांक व दिनांक	तहसील का नाम	कन्टेनमेंट जोन का नाम
01.	आदेश क्रमांक / 904 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 20.10.2020	बसना	**ग्राम मोहका**
02.	आदेश क्रमांक / 905 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद दिनांक 20.10.2020	बसना	**ग्राम लमकसा**

04) यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 999 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 19 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, को सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. अनुविभागीय दण्डा. एवं इन्सीडेंट कमांडर, सरायपाली को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बसना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, बसना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व संबंधित अधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क, महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)